Wheat trisis threatening food security

2057. SHRl SOM PAL: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the article captioned "Wheat crisis threatens food security" by Shri .Deytndra Sharma, published in the Hindustan Times of 24th April, 199.7. hasi been studied by Government;

(b) if so, what is. its perception about the issues raised therein;

(c) whether any steps are being initiated to overcome the crisis; and

(d) if yes, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUEANS PRASAD SINGH): (a) to (d) The newspaper article suggested that price alone was not enough to boost production of wheat and drew attention to the drastic slump in the growth rate of wheat, need to improve yield, erosion of natural resources affecting the production, excess use of chemical/fertilizers and it)s impact.

The fall in production of wheat during 1995-96, as compared to 1994-95, and the import of wheat should not be construed to have threatened Food Security of the country.' In fact, during 1996-97, the wheat production has been estimated at 68.71 anillion tonnes as against the target! of 6i .million, tonnes. To increase the production and productivity oiE wheat, various Crop production programmes, namely ICDP-Wheat, ICDP-Rice and ICDP-coarse cereals, are being implemented in the country.

रिफांइड तेल में कोलेस्ट्राल की मात्रा कम करने के लिए किसी भी प्रक्रिया का नहीं होना

2058. **श्री राघवजी** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की और दिलाया गया है कि देश में बेचे जा रहें किसी भी रिफाइंड तेल की कोलेस्ट्राल की मात्रा कम करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती

(ख) यदि हां, तो इसके क्या अंदर हैं, और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रिफाइंड तेलों के डिब्बों पर यह लिखा जाए कि "यह तेल कोलेस्ट्राल मुक्त नहीं हैं" ताकि आम जनता गुमराह न हो ?

खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) जी, हां । रसायनों की मदद से तेलों को शुद्ध करने की परम्परागत प्रक्रिया से रंग के साथ-साथ "स्ट्रल्स" का एक भाग खत्म हो जाता है । रिफाइंड तेलों में "कोलेस्ट्राल" तत्व शून्य से नगणय होते हैं ।

माप एंव तौल विभाग द्वारा टेलीफोन और बिजली के मीटरों को सत्यापन

2059. **श्री गोविन्दराम मिरी :** क्या खाद्य और उपभोक्तता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माप एंव तौल विभाग द्वारा टेलीफोन और बिजली के मीटरों का सत्यापित किया जाता है,

(ख) क्या मध्य प्रदेश के चावल उत्पादक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भंडारण हेतु समुचित व्यवस्था है,

(ग) यदि नहीं , तो क्या नए गोदाम बनाने की कोई योजना है,

(घ) यदि हां, तोउनकी क्षमता और स्थान संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) खाद्य मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के लिए धान से 67/68 प्रतिशत चावल रिकवरी निश्चित किए जाने का क्या आधार हैं, और

(च) सर्वेण मसूरी धान के लिए उत्तम श्रेणी में किन-किन राज्यों में समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, क्या मध्य प्रदेश में भी इसें उत्तम श्रेणी के अंतर्गत उपार्जित किया जाएगा।

खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं

(ख) जी हां।

भारतीय खाद्य निगम के पास मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पर्याप्त भंडारण क्षमता है। 31.05.1997 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 7.35 लाख मी.टन को भंडारण क्षमता थी और क्षमता उपयोग 61प्रतिशत था जिनका ब्यौरा निम्नवत है :-

भारतीय खाद्य निगम	राजस्व	क्षमता	उपयोग
जिले	जिले		(लाख मी.टन में)
रायपुर	रायपुर	3.77	66%
बिलासपुर	बिलासपुर रायगढ़ शहडोल सरगुंजा	1.87	58%
दुर्ग	दुर्ग बिस्तर राजनन्दगांव	1.17	53%
कुल		7.35	61%

(ग)और (घ) इस समय भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता हैं। तथापि भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश के छत्तीस गढ़ क्षेत्रमे धमात्री में 10,000 मी. टन क्षमता के एक नये गोदाम के निर्माण का प्रस्ताव हैं।

(घ) विभिन्न विशेष राज्य सरकार और चावल मिल मालिकों को एसोसिएशनों की लगातार इस मांग पर कि वैज्ञानिक आधार पर एक अधिक तथ्यपरक आऊट टर्न अनुपात निर्धारित किया जाना चाहिए, खाद्य मंत्रालय ने सिंम्बर, 1993 में भारतीय खाद्य निगम को यह निदेश दिया था कि वे संबंधित राज्य सरकारों और चावल-मिल मालिकों के एसोसिएशनों के सहयोग से धान के ट्रायल मिलिंग के एक कार्यक्रम को अतिंम रूप दें। तदनुसार ट्रायल मिलिंग के प्रयोगों के आधार पर विभिन्न राज्यों के लिए अक्टुबर, 1993 और जनवरी, 1994 के बीच एक अध्ययन कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई । सी.एफ.टी.आर.आई.मैसूर, आई.आई.टी. खडगपुर और पी.जी. आर. ओ., तंजाऊर संस्थानों को प्रस्तावित अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया। इन संस्थानो की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर धान से चावल बनाने का आउट टर्न अनुपात मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में सभी किस्म के धान के लिए धान के बिना उबाले चावल बनाने के संबंध में 67 प्रतिशत और धान का उबालकर चावल बनाने के संबंध में 68 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

(च) धान/ चावल की किस्में भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत की जाती है । भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार लम्बाई /चौड़ाई अनुपात के आधार पर धान/चावल को अधिप्राप्ति करता हैं ।

सवर्ण मसूरी या स्वर्ण मसूरी नामक धान की किस्म भारत सरकार द्वारा अलग-अलग समूहों में वगीकृत की गई है । इसका विवरण नीचे दिया गया है :-

राज्य का नाम	किस्म का नाम	समूह का वर्गीकरण
उड़ीसा	सवर्ण मूसरी मसूरी	फाईन
आंध्र प्रदेश	सवर्ण	फाईन
मध्य प्रदेश	मसूरी	फाईन
गुजरात	मसूरी	कॉमन
त्रिपुरा	मसूरी	सुपर फाईन
उत्तर प्रदेश	मसूरी	सुपर फाईन

सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में चल रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सरकार द्वारा राजसहायता दिया जाना

2060.**श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में चल रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा राजसहायता दिए जाने संबधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ख) यदि हां, तो किन-किन एककों/क्षेत्रों को राजसहायता दिए जाने का प्रस्ताव हैं,

(ग) क्या 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार राजसहायता के भुगतान हेतु जिला-वार, उद्योग-वार दावे लंबित हैं,

जा

ना (घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं,

(ड.) क्या ऐसे दावों के भुगतान के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम हैं, और

(च)यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (च) तक मंत्रालय की योजना स्कीमें क्षेत्र विशेष नहीं होती । योजना स्कीमों के तहत राज्य सरकार के संगठनों, सहकारिताओं, स्वयंसेवी संगठनों आदि से प्राप्त